

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) छत्तीसगढ़ रायपुर

पंजीकृत विशेष मूद्रा प्राधिकार

दिनांक: 14/5/2019

क्र.पी.ए./सामान्य/राहत आदेश/ प्रति, M34


181112036
214

- 01 वेतन एवं लेखा कार्यालय, पेंशन कार्यालय क्र-5, कोषालय भवन, तीज हजारी कोर्ट काम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110124
- 02 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) आंध्र प्रदेश, सैफाबाद, हैदराबाद-500463
- 03 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) अरुणाचल प्रदेश, ईटा नगर-791111
- 04 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) असम, गुवाहाटी, मैदामगांव बेलटोला, गुवाहाटी-781029
- 05 महालेखाकार (लेखा एवं हक.)-॥ बिहार, पटना, बीर चंद पटेल पथ, पटना-800001
- 06 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) गुजरात, अहमदाबाद ब्रांच, 'आडिट भवन', नवरंगपुरा, अहमदाबाद-380009
- 07 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) हरियाणा, लेखा भवन, प्लॉट नं.-4 एवं 5, सेक्टर 33-बी, चंडीगढ़-160047
- 08 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) हिमाचल प्रदेश, गोरटोन कैसल बिल्डिंग, शिमला-171003
- 09 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) जम्मू कश्मीर, एग्जीबीशन ग्राउन्ड के निकट, श्रीनगर-190009
- 10 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड, पी.ओ.-डोरंडा, राँची-834002
- 11 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) कर्नाटक, पार्क हाउस रोड, पो.बॉ.-5329/5369 बैंगलोर-560001
- 12 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) केरला, पो.बॉ.-5607, एम.जी. रोड, तिरुवनंथपुरम-695039
- 13 महालेखाकार (लेखा एवं हक.)-॥ मध्य प्रदेश, लेखा भवन, झांसी रोड, ग्वालियर-474002
- 14 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) महाराष्ट्र, 101 महर्षि कारवे मार्ग, पुरानी सी.जी.ओ. बिल्डिंग, एन.मैरीन लाईन्स, मुंबई
- 15 महालेखाकार (लेखा एवं हक.)-॥ महाराष्ट्र, सिविल लाईन्स, नागपुर-440001
- 16 वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा एवं हक.) मणिपुर, इम्फाल-795001
- 17 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) मेघालय, शिलांग-793001
- 18 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) मिज़ोरम, श्री बुआलहरंगा बिल्डिंग दिनथर, ऐज़वल-796001
- 19 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) नागालैंड, कोहिमा-797001
- 20 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) ओडीशा, भुवनेश्वर-751001
- 21 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) पंजाब एवं चंडीगढ़, सेक्टर 17-ई, चंडीगढ़-160017
- 22 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) राजस्थान, जनपथ जयपुर-302005
- 23 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) सिक्किम, लेखा परीक्षा भवन देवराती पी.ओ.-टाडोंग, गंगटॉक-737102
- 24 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) तामिलनाडु, 361 अन्ना सलाई टेयनामपेट, चेन्नई-600018
- 25 वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा एवं हक.) त्रिपुरा, पी.आ.-कुंजामवन, अगरतला-799006
- 26 वरिष्ठ उप महालेखाकार (लोकल बाँडी लेखापरीक्षा एवं लेखा) उत्तरांचल, देहरादून ऑबेराय मोटर बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून-248171
- 27 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) उत्तर प्रदेश, 20, सरोजिनी नाईडु मार्ग, इलाहाबाद-211001
- 28 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) वेस्ट बेंगॉल, कोषालय भवन क्रमांक-2, गवर्नमेंट प्लेस (वेस्ट) कोलकता-700001
- 29 कन्ट्रोलर ऑफ अकाउन्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफैर्स, तीसरी मंजिल, अकबर भवन नई दिल्ली
- 30 डाईरेक्टर ऑफ अकाउन्ट्स, पेंशन अनुभाग, पानाजी, गोवा
- 31 डाईरेक्टर ऑफ अकाउन्ट्स एवं ट्रेजरी, पांडीचेरी सरकार, पांडीचेरी
- 32 प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.), तेलंगाना, सैफाबाद, हैदराबाद-500463

O/o Pri. Accountant General (A&E)
Telangana, Hyderabad



546728



विषय: 1. छत्तीसगढ़ न्यायिक सेवा वेतन पुनरीक्षण, पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्त लाभ नियम, 2003 में संशोधन के संबंध में।

2. केंद्रीय स्वतंत्रता सेनानियों तथा उनके पात्र आश्रितों के पेंशनरों के लिए महंगाई राहत में दिनांक 01.01.2019 में की गई वृद्धि के संबंध में।

संदर्भ: 1. छत्तीसगढ़ शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर के पत्र क्रमांक /520/21-ब/छ.ग./19, दिनांक 03/2019

2. भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के परिपत्र क्रमांक 45/08/2017-FF(P), दिनांक 26.03.2019

संदर्भित निर्देशों का पालन करने एवं अपने अधीनस्थ सभी कोषालयों एवं बैंकों को अपने स्तर से सूचित करने हेतु प्रेषित। कृपया इसकी पावती भेजने का कष्ट करें।

संलग्न: संदर्भित ज्ञापन की प्रति-(04 पृष्ठ)

PM-OG-TS

लेखा अधिकारी/पी.ए.


क्र.पी.ए./सामान्य/राहत आदेश/

दिनांक: /2019

1. अतिरिक्त सचिव, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर के पत्र क्रमांक 2583/520/21-ब/छ.ग./2019, दिनांक 08.03.2019 को उनके उपरोक्त संदर्भित पत्र के संबंध में सूचनार्थ प्रेषित।

2. अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर के क्रमांक एफ 7-18/2007/1-7, दिनांक 08.04.2019 को उनके उपरोक्त संदर्भित पत्र के संबंध में सूचनार्थ प्रेषित।

लेखा अधिकारी/पी.ए.



छत्तीसगढ़ शासन
विधि और विधायी कार्य विभाग,
मंत्रालय, महानदी भवन,
अटल नगर, जिला-रायपुर (छ0ग0) 492002

// अधिसूचना //

रायपुर, दिनांक/03/2019

क्रमांक/520/21-ब/छ0ग0/19, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, छत्तीसगढ़ न्यायिक सेवा वेतन पुनरीक्षण, पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ नियम, 2003 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में,-

1. नियम 11-क(2) में, खण्ड (1) एवं (2) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :-

“(1) सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी को देय पेंशन उसकी सेवानिवृत्ति के समय धारित पद के पुनरीक्षित वेतनमान में न्यूनतम वेतन का 50 प्रतिशत होगा, जो अनुसूची 2(दो) और 3(तीन) के अनुसार होगा :

परन्तु यह कि पेंशन के पुनरीक्षण एवं पुनर्निर्धारण के समय विद्यमान पेंशन का निम्नानुसार पहले समेकन किया जायेगा-

(एक) दिनांक 1-1-2006 के विद्यमान पेंशन

(दो) दिनांक 1-1-2006 को मंहगाई पेंशन

(तीन) दिनांक 1-1-2006 को विद्यमान मूल पेंशन और मंहगाई पेंशन विद्यमान दर से मंहगाई राहत:

परन्तु यह और कि वे सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी जो दिनांक 01 नवम्बर, 2000 के पश्चात् तथा 01 जनवरी, 2006 के पूर्व सेवानिवृत्ति या मृत्यु होने के कारण सेवा में नहीं रहे हैं और उनकी वह पेंशन, जो

PA:
1435
25/2

उक्त नियम के अनुसार पुनरीक्षित की गई है, दिनांक 01 जनवरी, 2006 से 03.07 गुना बढ़ाकर पुनरीक्षित की जाएगी जो उनकी सेवानिवृत्ति के समय अंतिम आहरित वेतन के समतुल्य पुनरीक्षित वेतनमान के पुनरीक्षित वेतन के 50 प्रतिशत से कम नहीं होगी ।

- (2) पुनरीक्षित पेंशन, खण्ड (1) में उल्लिखित अनुसार पुनरीक्षण वेतन का न्यूनतम 50 प्रतिशत अथवा उपरोक्तानुसार निर्धारित समेकित पेंशन, जो भी अधिक हो, होगा:

परन्तु यह कि ऐसे न्यायिक अधिकारी जो दिनांक 01 नवम्बर, 2000 के पश्चात् तथा दिनांक 01 जनवरी, 2006 के पूर्व सेवानिवृत्त हो गए थे और जिनकी पेंशन, उक्त नियम के अनुसार पुनरीक्षित की गई है, के संबंध में पारिवारिक पेंशनरों के मामले में पूर्ण परिवार पेंशन को दिनांक 01 जनवरी, 2006 से 03.07 गुना बढ़ाकर पुनरीक्षित किया जाएगा जो संबंधित न्यायिक अधिकारी के सेवानिवृत्ति के समय अंतिम आहरित वेतन के समतुल्य पुनरीक्षित वेतनमान के पुनरीक्षित वेतन के 30 प्रतिशत से कम नहीं होगी।"

NOTIFICATION

No...../520/XXI-B/C.G./19, In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Judicial Service Pay Revision, Pension and Other Retirement Benefits Rules, 2003, namely:-

AMENEMENT

In the said rules,-

1. In rule 11-A(2), for clause (1) and (2), the following shall substituted, namely:-

"(1) The revised pension of the retired Judicial Officer should be 50% of the minimum pay of the revised pay scale of the post held by

him at the time of the retirement, which shall be as Schedule 2 and 3:

Provided that at the time of revision and re-fixation, the existing pension shall be consolidated first as follows:-

(i)	Existing pension as on 1-1-2006
(ii)	Dearness pension as on 1-1-2006
(iii)	Dearness relief at prevalent rate on both the existing basic pension and Dearness pension as on 1-1-2006

Provided further that the Judicial Officers, who have ceased to be in service due to death or retirement after 1st November, 2000 and prior to 1st January, 2006, their pension, which has been revised in accordance with the said rules, shall be revised by raising the same by 03.07 times w.e.f. 1st January, 2006 which shall not be less than 50% of the revised pay of revised pay scale equivalent to the last pay drawn at the time of his retirement.

- (2) The revised pension shall be fixed at minimum 50% of the revised pay as mentioned in para (1) or consolidated pension as calculated above, whichever is higher:

Provided that such Judicial Officer who retired after 1st November, 2000 and prior to 1st January, 2006 and whose pension has been revised in accordance with the said rules,

the full family pension in respect of the family pensioners shall be revised by raising the same by 03.07 times w.e.f. 1st January, 2006 which shall not be less than 30% of the pay of revised pay scale equivalent to the last pay drawn by the Judicial Officer at the time of retirement."

**By order and in the name of the
Governor of Chhattisgarh,**

sd/
(Ravishankar Sharma)
Principal Secretary

Government of Chhattisgarh,

Law & Legislative Affairs Department

पृ.क्रमांक 2583/520/21-ब/छ.ग./2019

रायपुर, दिनांक 08/03/2019
08 MAR 2019

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार जनरल, छ.ग. उच्च न्यायालय, बोदरी, बिलासपुर,
2. महालेखाकार, जीरो पॉइन्ट, रायपुर,
3. प्रमुख सचिव, छ.ग.शासन, वित्त विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, अटल नगर, रायपुर,
4. सचिव, छ.ग.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, अटल नगर, रायपुर,
5. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, रायपुर
6. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, छ.ग.शासन, महानदी भवन, मंत्रालय अटल नगर, रायपुर की ओर मुख्य सचिव, छ.ग.शासन के अवलोकनार्थ
7. मान. विधि मंत्री जी के निज सचिव की ओर मान. विधि मंत्री जी के अवलोकनार्थ,
8. श्री अम्बरीश कुमार पटेल, सेवानिवृत्त अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नवोदय स्कूल गेट एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के पास, एन.एच. 69, ग्राम ब्यावरा, पोस्ट पावरखेड़ा फॉर्म, तहसील व जिला होशंगाबाद (म0प्र0),
9. अवर सचिव (स्थापना/लेखा) विधि और विधायी कार्य विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, अटल नगर, रायपुर,
10. समस्त जिला कोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़
11. उप संचालक, शासकीय मुद्रणालय, इंद्रावती भवन के सामने, अटल नगर, रायपुर की ओर राजपत्र असाधारण के आगामी अंक में प्रकाशन हेतु।
12. श्री के.एल.बागड़े, अवर सचिव (नोडल ऑफिसर) विभागीय वेबसाईट की ओर विभागीय वेबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

MK
18.3.19
(मनीष कुमार ठाकुर)

अतिरिक्त सचिव

विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय